

आउटकम / परफॉरमेन्स बजट 2024-25

विभाग का नाम :- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0- 1,2 एवं 5

(रु0 लाख में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | | 1-4-2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा |
|--------------------------|--|---|----------------|---------|--|---|---|---|----------------|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| अनुदान संख्या: 15 | | | | | | | | | |
| 01 | आई0सी0डी0एस0 योजना में मेडीसिन किट्स एवं प्री -स्कूल किट्स तथा साड़ी/सूट की आपूर्ति (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | भारत सरकार के मानकानुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक प्री-स्कूल किट्स व एक मेडिसिन किट्स तथा कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मिकों को दो-सैट साड़ी-सूट की आपूर्ति हेतु। | 732.07 | 0 | 105070 | 105070 | 14947 आंगनबाड़ी तथा 5120 मिनी केन्द्रों पर 20067 मेडिसिन किट 20067 प्री-स्कूल किट तथा 35014 आंगनबाड़ी कर्मियों हेतु पोषाक। | <ul style="list-style-type: none"> बच्चों की सीखने की क्षमता में संवर्धन एवं सरलीकरण। लाभार्थियों के रोगों का प्राथमिक स्तर पर नियंत्रण पहचान एवं अनुशासन। | 31 मार्च, 2025 |
| 02 | आई0सी0डी0एस0 योजना में मेडीसिन किट्स एवं प्री -स्कूल किट्स तथा साड़ी/सूट की आपूर्ति (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 81.34 | 0 | | | | | |
| 03 | समन्वित बाल विकास योजना (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | 103 बाल विकास परियोजनाओं को भारत सरकार की सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0 योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कर्मिकों का मानदेय, नियमित कामिकों के वेतन के रिम्बर्समेन्ट, आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन किराया, कंटीजेन्सी मद आदि हेतु। | 19541.48 | 0 | 103 बाल विकास परियोजना कार्यालय में 28507 आंगनबाड़ी कर्मिकों का मानदेय दिया जा रहा है। | 103 बाल विकास परियोजना कार्यालय में 28507 आंगनबाड़ी कर्मिकों का मानदेय दिया जा जाएगा। | 103 बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यरत 30251 आंगनबाड़ी कर्मिकों का मानदेय, भवन किराया, कंटीजेन्सी एवं नियमित कामिक के वेतन आदि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु। | - | 31 मार्च, 2025 |
| 04 | समन्वित बाल विकास योजना (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 2171.28 | 0 | | | | | |
| 05 | समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टॉफ की व्यवस्था (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | 13 जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भारत सरकार की सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0 योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यालय में कार्यरत नियमित जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य कर्मिकों के वेतन की प्रतिपूर्ति, गाड़ियों के संचालन, ईंधन, अनुरक्षण हेतु। | 367.91 | 0 | 13 जनपद के कार्यालय हेतु | 13 जनपद के कार्यालय हेतु | 13 जनपदों के माध्यम से 103 परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन होगा। तथा 13 जनपदों में कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में नियमति कामिक के वेतन आदि की प्रतिपूर्ति हेतु। | - | 31 मार्च, 2025 |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा |
|----------|---|---|----------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|--|----------------|
| | | | | | | | | | |
| 06 | समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टॉफ की व्यवस्था (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 40.88 | 0 | | | | | |
| 07 | आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं का प्रशिक्षण (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं तथा मिनी कार्यकर्त्रियों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन। | 0.01 | 0 | — | — | टोकन मनी से प्रस्तावित। | टोकन मनी से प्रस्तावित। | — |
| 08 | आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं का प्रशिक्षण (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 0.01 | 0 | | | | | |
| 09 | प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एस्को खाता (मिशन शक्ति-सामर्थ्य) 10 प्रतिशत् राज्यांश | भारत सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को दी जाने वाली 90 प्रतिशत् धनराशि सीधे विभाग के एस्को खातों में अंतरित की जाती है। जिसके कारण 90 प्रतिशत् का प्रावधान न रखकर महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु रू० 5000/- एवं जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रू० 1000/- की दर से 10 प्रतिशत् राज्यांश रू० 44365 हजार की धनराशि 10 प्रतिशत् प्रस्तावित हेतु। | 300.00 | 0 | 84510 लाभार्थी लक्ष्य | 65505 लाभार्थी लाभान्वित | योजना के अन्तर्गत 63405 प्रथम बच्चे एवं 21104 द्वितीय बच्चे पर गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगी। | योजना के अन्तर्गत नवजात शिशुओं एवं धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार तथा उनकी स्वच्छता एवं देखभाल। | 31 मार्च, 2025 |
| 10 | अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | भारत सरकार के निर्देशानुसार आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन। | 0.01 | 0 | — | — | टोकन मनी से प्रस्तावित। | टोकन मनी से प्रस्तावित। | — |
| 11 | अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 0.01 | 0 | | | | | — |
| 12 | सूचना शिक्षा तथा संचार (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण की गतिविधियों द्वारा समुदाय में आई०सी०डी०एस० की सेवाओं की मांग बढ़ाना। | 0.01 | 0 | — | — | टोकन मनी से प्रस्तावित। | टोकन मनी से प्रस्तावित। | — |
| 13 | सूचना शिक्षा तथा संचार (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 0.01 | 0 | | | | | — |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा | |
|----------|---|---|----------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|--|----------------|
| 14 | आईसीडीएस परियोजना/कार्या./आंबा0 केन्द्रों पर अवसंरचना सुविधाएं (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | भारत सरकार के मानकानुसार 14947 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 5120 मिनी केन्द्रों में उपकरण/फर्नीचर 5 वर्ष में एक बार उपलब्ध कराया जाता है।। | 1000.00 | 0 | — | — | 14947-आंगनबाड़ी केन्द्र 5120-मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र | केन्द्र पर समस्त योजनाओं के संचालन हेतु सरलीकरण। | 31 मार्च, 2025 |
| 15 | आईसीडीएस परियोजना/कार्या./आंबा0 केन्द्रों पर अवसंरचना सुविधाएं (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 100.00 | 0 | | | | | |
| 16 | स्टेट हब फॉर वोमेन (मिशन शक्ति-सामर्थ्य) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से मिशन शक्ति-सामर्थ्य योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर स्टेट हब फॉर इम्प्लायमेंट वार वोमेन (SHEW) के माध्यम से नेशनल हब फॉर इम्प्लायमेंट ऑफ वोमेन (NHEW) एवं डिस्ट्रिक्ट हब फॉर इम्प्लायमेंट फॉर वोमेन (DHEW) के साथ समन्वयन कर मिशन शक्ति को क्रियान्वित करने हेतु भारत सरकार के मानकानुसार कुल 08 कार्मिकों एवं जनपद स्तर पर संचालित डिस्ट्रिक्ट हब फॉर इम्प्लायमेंट फॉर वोमेन में कुल 08 कार्मिकों तथा राज्य एवं जनपद सैल में प्रशिक्षण व्यय, कंटीजेन्सी हेतु। | 200.00 | 0 | — | — | राज्य स्तर पर 08 कार्मिकों को एवं जनपदीय स्तर पर 104 कार्मिकों को रोजगार। | — | 31 मार्च, 2025 |
| 17 | स्टेट हब फॉर वोमेन (मिशन शक्ति-सामर्थ्य) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 40.90 | 0 | | | | | |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (शैक्षणिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा | |
|----------|--|---|----------------|----------------------|--|--|--|---|----------------|
| 18 | पालना क्रेच योजना (मिशन शक्ति-सामर्थ्य) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | भारत सरकार के मानकानुसार योजनान्तर्गत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की प्राथमिक शिक्षा एवं देखरेख तथा पोषण की गतिविधियों हेतु योजना संचालित है। योजना अन्तर्गत राज्य में प्रत्येक जनपद के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु 34 पालना क्रेच खोले जाने हेतु। | 100.00 | 0 | — | — | योजनान्तर्गत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की प्राथमिक शिक्षा एवं देखरेख तथा पोषण की गतिविधियों हेतु योजना संचालित है। योजनान्तर्गत राज्य में प्रत्येक जनपद के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु 34 पालना क्रेच खोले जाने हेतु। | कामकाजी अभिभावकों के दायित्व निर्वहनों का सरलीकरण एवं बच्चों के मानसिक शैक्षणिक तथा शारीरिक विकास में संवर्धन। | 31 मार्च, 2025 |
| 19 | पालना क्रेच योजना (मिशन शक्ति-सामर्थ्य) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 15.26 | 0 | | | | | 31 मार्च, 2025 |
| 20 | राष्ट्रीय पोषण मिशन (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनान्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में भारत सरकार के मानकानुसार योजना के संचालन जैसे (कॉम्युनिटी बेस्ड इवेन्ट्स, आई.ई.सी., पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा, इनसेटिव, पॉलिसी प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट, पी.एम.यू. इनोवेशन, आदि, आंगनबाड़ी को वितरित किये गये मोबाइल फोन नं० के डाटा पैक चार्ज, राज्य परियोजना प्रबन्धन कार्यालय के संचालन, मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकने हेतु क्रियान्वयन किया जायेगा। | 2500.00 | 0 | 792043 लाभार्थी | 810100 लाभार्थी | 13-जनपद 105-परियोजनाएं 7.92 लाख लाभार्थी 14108 अतिकुपोषित बच्चों 140 पद | लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार एवं एनीमिया से रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के विकास में सहयोग। | 31 मार्च, 2025 |
| 21 | राष्ट्रीय पोषण मिशन (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 386.08 | 0 | | | | | |
| 22 | किशोरी बालिका योजना (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0 की नई गाइडलाइन के अनुसार दो आंकाक्षाशील जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में 14 से 18 वर्ष की कुल 99167 किशोरी बालिकाओं को माह में 25 दिन हेतु प्रतिवर्ष पोषाहार दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। | 1500.00 | 0 | 33783 | 68409 | जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में 14 से 18 वर्ष की कुल 71829 किशोरी बालिकाओं को माह में 25 दिन हेतु प्रतिवर्ष पोषाहार दिये जायेगा। | 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को एनीमिया प्रबन्धन तथा शारिरिक स्वच्छता एवं देखभाल की क्षमताओं में विकास। | 31 मार्च, 2025 |
| 23 | किशोरी बालिका योजना (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 219.94 | 0 | | | | | |
| 24 | समन्वित बाल विकास योजना वेतन का भुगतान (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत् राज्यांश | 105 बाल विकास परियोजना कार्यालयों में तैनात नियमित कार्मिकों के वेतन, महंगाई भत्ता, एवं अन्य भत्ते हेतु। | 5883.44 | 0 | 103 बाल विकास परियोजना अधिकारी अधिष्ठान में नियमित कार्मिकों के वेतन आदि | 103 बाल विकास परियोजना अधिकारी अधिष्ठान में नियमित कार्मिकों के वेतन आदि | 103 बाल विकास परियोजना अधिकारी अधिष्ठान में नियमित कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान | — | 31 मार्च, 2025 |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (सैद्धांतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा |
|----------|--|--|----------------|---|---|---|---|---|----------------|
| 25 | जिला स्तरीय स्टॉफ की व्यवस्था वेतन का भुगतान (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश | 13 जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों में तैनात नियमित कार्मिकों के वेतन, मंहगाई भत्ता, एवं अन्य भत्ते हेतु। | 372 | 0 | 13 जिला कार्यक्रम अधिकारी अधिष्ठान में नियमित कार्मिकों के वेतन आदि | 13 जिला कार्यक्रम अधिकारी अधिष्ठान में नियमित कार्मिकों के वेतन आदि | 13 जिला कार्यक्रम अधिकारी अधिष्ठान में नियमित कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान | — | 31 मार्च, 2025 |
| 26 | अनुपूरक पोषाहार योजना (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत केन्द्रांश | बाल विकास परियोजना कार्यालयों के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों, महिलाएं, गर्भवती व धात्रा माताएं एवं अतिकुपोषित बच्चों को वर्ष में 300 दिन पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु। | 20000.00 | 0 | 7.89 लाख अनुपूरक पोषाहार लाभार्थी। | 7.9 लाख अनुपूरक पोषाहार लाभार्थी। | 7.44 लाख अनुपूरक पोषाहार लाभार्थी को लाभान्वित किया जाएगा। 14108 अतिकुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। | लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार एवं एनीमिया से रोकथाम तथा रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के विकास में सहयोग। | 31 मार्च, 2025 |
| 27 | अनुपूरक पोषाहार योजना (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत राज्यांश | | 2437.03 | 0 | | | | | |
| 28 | समन्वित बाल विकास परियोजनाआ पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला मानदेय | राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्त्रियों को राज्य सरकार द्वारा पारिश्रमिक प्रदान करने के उद्देश्य से योजना संचालित है। | 14138.87 | 0 | 28507 आंगनबाड़ी कार्मिक | 28507 आंगनबाड़ी कार्मिक | 30251 आंगनबाड़ी कार्मिक। | — | 31 मार्च, 2025 |
| 29 | विशिष्ट दिवसों पर समारोह | अंतराष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, योग दिवस, गणतंत्र दिवस पर विभागीय झांकी का प्रस्तुतीकरण, स्थापना दिवस, बाल दिवस, स्वच्छता माहमारी दिवस आदि का समारोह का आयोजन व क्रियान्वयन हेतु। | 15.00 | 0 | — | — | अंतराष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, योग दिवस, गणतंत्र दिवस पर विभागीय झांकी का प्रस्तुतीकरण, स्थापना दिवस, बाल दिवस, स्वच्छता माहमारी दिवस आदि का समारोह का आयोजन व क्रियान्वयन | समय-समय पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से जनजागरूकता। | 31 मार्च, 2025 |
| 30 | बाल संरक्षण आयोग | बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित है। आयोग द्वारा पोक्सो/जे०जे० एक्ट/बाल श्रम शोध आदि कार्य एवं जन-जागरूकता कार्यशाला/सेमिनार/ संगोष्ठियों/ प्रशिक्षण/ शिविर कार्यक्रमों का आयोजन। | 129.30 | 0 | 09 कार्मिक | 09 कार्मिक | उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संचालन। | बाल अधिकारों का संरक्षण | 31 मार्च, 2025 |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (अंतिम) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा | |
|----------|--|---|----------------|----------------------|---|---|---|--|----------------|
| 31 | राज्य तीलू रौतेली पुरस्कार | निर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है। जिसमें प्रत्येक वर्ष रू० 51,000/- की दर 13 महिलाओं एवं राज्य की आंगनबाड़ी केन्द्रों से सम्बन्धित कार्यकर्त्रियों द्वारा केन्द्र में उत्कृष्ट कार्य किये जाने पर रू० 51,000/- की दर से कुल 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। | 35.00 | 0 | 14 महिलाओं / किशोरियां। 34 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती | 14 महिलाओं / किशोरियां। 34 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती | 14 महिलाओं / किशोरियां। 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती | महिलाओं में सांस्कृतिक साहसिक, कला एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य करने की अभिरुचि एवं प्रेरणा में संवर्द्धन। | 31 मार्च, 2025 |
| 32 | उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास परियोजना | योजना के तहत संस्थाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की जांच रिक्वीरिंग कमेंटी के माध्यम से करवाते हुए अर्ह प्रस्तावों को परियोजना स्वीकृति पर समिति द्वारा संस्थाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह के साथ अनुबन्ध करते हुए उत्पादन इकाईयों की परियोजनाओं के सुचारु संचालन हेतु प्रथम किस्त स्वरूप 75% अवमुक्त करने के पश्चात् द्वितीय किस्त स्वरूप देय 15% बजट धनराशि उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना के सम्बन्धित खाते में देयता के रूप में रक्षित रहती है। जिसका भुगतान संस्था/समूह को अनुबन्ध में नियत शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त किया जाता है। सम्बन्धित योजना के खाते में अवशेष/रक्षित 10% की प्रतिपूर्ति संस्था अथवा महिला स्वयं सहायता समूह को अनुबन्धानुसार की जाती है। उत्पादन इकाईयों की परियोजनाओं को छोड़कर अन्य परियोजना हेतु अनुबन्धानुसार भुगतान प्रथम किस्त 60% द्वितीय किस्त 30% एवं अंतिम किस्त 10% की प्रतिपूर्ति संस्था/स्वयं सहायता समूह को की जाती है। | 300.00 | 0 | - | - | योजनान्तर्गत लाभान्वित महिलाओं का कार्यबोझ कम होगा। | महिलाओं में कौशल विकास करते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ना। | 31 मार्च, 2025 |
| 33 | निदेशालय हेतु अतिरिक्त स्टॉफ की व्यवस्था | राज्य सरकार के द्वारा निदेशालय / 13 जनपद / 105 परियोजना के अन्तर्गत नियमित/आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के वेतन आदि, कार्यालयों के प्रयोगार्थ स्टेनरी, कम्प्यूटर व फर्नीचर, कार्मिकों के प्रशिक्षण आदि व्यवस्था की जाती है। | 2859.65 | 0 | निदेशालय 13-जनपद 105-परियोजना कार्यालयों का संचालन | निदेशालय 13-जनपद 105-परियोजना कार्यालयों का संचालन | निदेशालय 13-जनपद 105-परियोजनाएं | - | 31 मार्च, 2025 |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (अंशिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा | |
|----------|---|--|----------------|----------------------|---|---|---|--|----------------|
| 34 | मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना | मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना अन्तर्गत राज्य में स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चों के वजन एवं पोषण में सुधार शारिरिक विकास एवं आंगनवाडी केन्द्रों पर प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिये रु० 20 प्रति लाभार्थी प्रति सप्ताह की दर से वर्ष में कुल 52 सप्ताह हेतु सप्ताह में दो दिन अण्डा, दो दिन केला चिप्स दिये जाने हेतु। | 2847.35 | 0 | 241076 बच्चों को बाल पोलाश योजना अन्तर्गत लाभान्वित | 224237 बच्चों को बाल पोलाश योजना अन्तर्गत लाभान्वित | राज्य के लगभग आंगनवाडी केन्द्रों पर पंजीकृत 228153 बच्चों को बाल पोषण योजना अन्तर्गत लाभान्वित | लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार एवं एनीमिया से रोकथाम तथा रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के विकास में सहयोग। | 31 मार्च, 2025 |
| 35 | मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना | 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 04 दिन दूध कुल 209 दिवसों हेतु फोर्टीफाइड दुग्ध पाउडर 10 ग्राम प्रति लाभार्थी को उपलब्ध कराये जाने हेतु। | 1000.00 | 0 | 241076 | 224237 | 228153 लाभार्थी को लाभान्वित किया जाना | लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार एवं एनीमिया से रोकथाम तथा रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के विकास में सहयोग। | 31 मार्च, 2025 |
| 36 | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन 100 प्रतिशत केन्द्रांश | योजना के माध्यम से जन्म पर लिंगानुपात, संस्थागत प्रसव, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, बालिकाओं में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट एवं स्वच्छता प्रबंधन को सुधारने हेतु विशेष अभियान एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु। | 200.00 | 0 | लिंग अनुपात 939:1000 | लिंग अनुपात 939:1000 | 13-जनपद 105-परियोजनाएं | <ul style="list-style-type: none"> लिंगानुपात में सुधार। बालिकाओं की शिक्षा एवं पोषण स्तर में सुधार। महिलाओं को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन स्थिति में कानूनी, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि सेवायें प्राप्त होंगी। | 31 मार्च, 2025 |
| 37 | नारी अदालत (मिशन शक्ति-सम्बल) 100 प्रतिशत केन्द्रांश | भारत सरकार द्वारा नारी अदालत योजना में महिलाओं के विभिन्न प्रकरणों (उत्पीड़न, सबवर्जन, अधिकारों का हनन एवं हक) के निवारण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में दो आंकाक्षाशील जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में रु० 03 हजार की दर से मीटिंग/ आउट ऑफ पॉकट एक्सपेन्डिचर एवं जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में 10 मैम्बर्स को यूनिफार्म दिये जाने हेतु। | 3.04 | 0 | - | - | योजना में महिलाओं के विभिन्न प्रकरणों (उत्पीड़न, सबवर्जन, अधिकारों का हनन एवं हक) के निवारण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में दो आंकाक्षाशील जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में रु० 03 हजार की दर से मीटिंग/ आउट ऑफ पॉकट एक्सपेन्डिचर एवं जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में 10 मैम्बर्स को यूनिफार्म दिये जाने हेतु। | महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण एवं न्याय | 31 मार्च, 2025 |
| 38 | सखी निवास (मिशन शक्ति-सामर्थ्य) 90 प्रतिशत केन्द्रांश | भारत सरकार द्वारा सखी निवास योजनान्तर्गत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास दिलाये जाने के उद्देश्य से सखी निवास का संचालन हेतु। | 18.44 | 0 | | | 1-भारत सरकार द्वारा सखी निवास योजनान्तर्गत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास दिलाये जाने के उद्देश्य से सखी निवास का संचालन। सखी निवास के संचालन 1000 वर्ग मीटर के किराये, सखी निवास के अन्तर्गत कैच का संचालन एवं विभागीय | कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यक्षेत्र के निकट न्यूनतम दरों पर सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास सुविधाएं प्रदान करना। | 31 मार्च, 2025 |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा |
|----------|---|--|----------------|---|----------------------|---------------------------------------|---|--|----------------|
| | | | 0.00 | 0 | | | | | |
| 39 | सखी निवास (मिशन शक्ति-सामर्थ्य) 10 प्रतिशत राज्यांश | | 0.00 | 0 | | | जयपुर के सखी निवास के अनुरक्षण भवन में सखी निवास के अनुरक्षण | | |
| 40 | राष्ट्रीय महिला हैल्पलाईन 181 (मिशन शक्ति-सम्बल) 100 प्रतिशत केन्द्रांश | योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 24*7 टोल फ्री 181 के माध्यम से आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस/फायर/एम्बुलेन्स सर्विस/1098 चाईल हैल्पलाईन ईत्यादि वन स्टॉप सेण्टर से समन्वयन कर सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है। भारत सरकार द्वारा वूमेन हैल्पलाईन मैनेजमेंट (WHL Management) में 12 कार्मिकों को नई गाईडलाइन के अनुसार मानेदय व इसके साथ ही रू0 330/- बीमा कराया जाना है। | 155.20 | 0 | - | - | योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 24*7 टोल फ्री 181 के माध्यम से आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस/फायर/एम्बुलेन्स सर्विस/1098 चाईल हैल्पलाईन ईत्यादि वन स्टॉप सेण्टर से समन्वयन कर सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है। भारत सरकार द्वारा वूमेन हैल्पलाईन मैनेजमेंट (WHL Management) में 12 कार्मिकों को नई गाईडलाइन के अनुसार मानेदय व इसके साथ ही रू0 330/- बीमा कराया जाना है। | महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा उनकी आवश्यकतानुसार तथा आपातकालीन परिस्थितियों में उनकी आवश्यकतानुसार सहायता जैसे पुलिस/फायर/एम्बुलेन्स सर्विस/1098 चाईल हैल्पलाईन ईत्यादि से जोड़ना। | 31 मार्च, 2025 |
| 41 | वन स्टॉप सेण्टर (मिशन शक्ति-सम्बल) 100 प्रतिशत केन्द्रांश | योजना के अन्तर्गत एकल खिड़की प्रणाली के अनुरूप कार्य करते हुए दुर्व्यवहार/अपराध से पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब आवश्यक सेवाएं, सहायता, सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान कर उनका पुनर्वास हेतु चिकित्सक, अधिवक्ता, पुलिस अधिकारी एवं परामर्शदाता, की सेवाएं की ही परिसर के अन्तर्गत 24*7 उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत वन स्टॉप सेण्टर (OSC Management) में कार्मिकों हेतु राज्य में 14 वन स्टॉप सेण्टर के मानदेय एवं भारत सरकार के मानकानुसार 15 कार्मिकों को रू0 330/- की दर से इन्शोरेंस प्रति व्यक्ति दिया जाना हेतु। | 300.00 | 0 | | | 1.20 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रसवोपरान्त मात्र दो प्रसवो पर धात्री माताओं को किट उपलब्ध करवायी जायेगी | शारीरिक सुरक्षा एवं देखभाल तथा पोषण स्तर पर सुधार। | 31 मार्च, 2025 |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा | |
|----------|--|---|----------------|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|----------------|
| 42 | मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना | प्रदेश में गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया एवं मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री माताओं को सप्ताह में 02 दो दिन अण्डा व 02 दिन केला चिप्स/खजूर अतिरिक्त पोषाहार के रूप में वर्ष में 52 सप्ताह उपलब्ध कराया जाता है। | 1488.04 | 0 | 193492 | 164574 | 1.70 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री माताओं को सप्ताह में 02 दो दिन अण्डा व 02 दिन केला चिप्स/खजूर उपलब्ध कराया जायेगा। | राज्य में गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया एवं मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा पोषण स्तर पर सुधार होगा। | 31 मार्च, 2025 |
| 43 | राज्य महिला आयोग की स्थापना | महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु वैधानिक संस्था गठित है जिसका व्यय आयोजनत्तर मद से किया जा रहा है। | 160.30 | 0 | 14 कार्मिक | 16 कार्मिक | महिला आयोग द्वारा दर्ज प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा एवं जनपदों में महिला अधिकार कैम्प आयोजित किये जायेंगे। | महिला अधिकारों के प्रति राज्य में सकारात्मक वातावरण में वृद्धि होगी तथा महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की प्राप्ति होगी। | 31 मार्च, 2025 |
| 44 | कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण | सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों में महिला कार्मिकों के साथ अभ्रदता, आपत्तिजनक व्यवहार को रोकना व महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 के सुचारु रूप से क्रियान्वयन जैसे विविध गतिविधिया/ प्रचार-प्रसार / प्रशिक्षण आदि कार्य हेतु। | 50.00 | 0 | 105 परियोजना | 105 परियोजना | जनपद/राज्य स्तरीय समिति, संरक्षण अधिकारी, सेवाप्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा केन्द्र आदि के माध्यम से अधिनियम का सफल क्रियान्वयन होगा। | राज्य में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु तात्कालिक स्वास्थ्य, पुलिस, एवं निःशुल्क अधिवक्ता जैसी सुविधाएं प्रदान करने में सहयोग। | 31 मार्च, 2025 |
| 45 | कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टॉफ की व्यवस्था | कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास संचालन हेतु स्टॉफ की व्यवस्था आदि हेतु योजना का संचालन। | 0.01 | 0 | - | - | टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित। | टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित। | 31 मार्च, 2025 |
| 46 | आंगनवाड़ी कर्मियों हेतु कल्याण कोष | आंगनवाड़ी कर्मियों की मानदेय सेवा से मुक्त होने के समय उन्हें एकमुश्त आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाना। | 0.01 | 0 | - | - | टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित। | टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित। | 31 मार्च, 2025 |
| 47 | बाल कल्याण निधि योजना | बाल कल्याण निधि के अंतर्गत बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष कक्षा 10 एवं 12 में उत्तराखण्ड बोर्ड के जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तथा कक्षा 12 में विकास खण्ड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने बालिकाओं को डिजिटल एजुकेशन डिवाइस से पुरस्कृत किया जाता है। | 0.00 | 0 | - | - | योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय तथा 95 ब्लॉक के अन्तर्गत कक्षा 12वीं में प्रथम सीन प्राप्त करने वाली बालिकाओं को लाभान्वित करना। | बालिकाओं को उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करना। | 31 मार्च, 2025 |
| 48 | मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना | राज्य की विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग की महिलाओं/किशोरियों के आजीविका एवं आर्थिक विकास होगा। | 100.00 | 0 | 2725 लाभार्थी | 350 लाभार्थी | 1500 लाभार्थियों का लाभान्वित करना | लाभान्वित महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त होगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। | 31 मार्च, 2025 |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (कैडिक्ट) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा | |
|----------|---|---|----------------|----------------------|---|---|--|--|----------------|
| 49 | किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकीन की व्यवस्था | किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है। | 100.00 | 0 | 10.50 सैनेटरी किट लाभार्थियों | 8.50 सैनेटरी किट लाभार्थियों | समस्त 13 जनपदों में किशोरियों एवं महिलाओं में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने तथा किशोरी बालिकाओं में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देने के लिए योजनान्तर्गत सैनेटरी नैपकीन इकाई की स्थापना एवं प्रदेश के प्रमुख स्थानों/संस्थानों में कुल 20067 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु सैनेटरी नैपकीन बैडिंग मशीन की उपलब्धता एवं निशुल्क Subsidies दरों पर उपलब्ध करायी जानी है। | किशोरियों एवं महिलाओं को महावारी के समय होने वाले रोगों पर नियंत्रण एवं रोकथाम, और शारीरिक स्वच्छता। | 31 मार्च, 2025 |
| 50 | नन्दा गौरा याजना | राज्य की गरीब परिवारों की बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु जन्म के समय बालिकों को रू० 11000/- व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर रू० 51000/- की धनराशि दी जाती है। | 19500.00 | 0 | 44430 | 118719 | जन्म के 15000 बच्चों के कक्षा 12 उत्तीर्ण के 35000 को लाभान्वित होंगे। | लिंगभेद के प्रतिजागरूकता एवं रोकथाम तथा बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन। | 31 मार्च, 2025 |
| 51 | उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति योजना | भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन संचालन हेतु। | 30.00 | 0 | - | - | 07 - कार्मिक | - | 31 मार्च, 2025 |
| 52 | मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना | योजना के अन्तर्गत पूर्व में प्रथम प्रसव में बालिका के जन्म पर धात्री माताओं को किट उपलब्ध करवायी जाती है। तथा वर्तमान में शासनादेश संख्या व दिनांक 05 जनवरी, 2024 के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रसवोपरान्त मात्र दो प्रसवों पर महालक्ष्मी किट से लाभान्वित किया जायेगा। | 3000.00 | 0 | 37961 | 37961 | 1.20 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रसवोपरान्त मात्र दो प्रसवों पर धात्री माताओं को किट उपलब्ध करवायी जायेगी | शारीरिक सुरक्षा एवं देखभाल तथा पोषण स्तर पर सुधार। | 31 मार्च, 2025 |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (अनुमानित) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा | |
|----------|--|---|----------------|----------------------|--|---|---|---|----------------|
| 53 | मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना | 1-मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2023 को "मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना" के क्रियान्वयन हेतु घोषणा की गयी है। जिसे राज्य के समस्त जिलों में संचालित किया जायेगा। यह योजना एकल/निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उनको आत्मनिर्भर कारगर सिद्ध होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य एकल/निराश्रित/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गांव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है। 2-यह योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड आबकारी नीति नियमावली 2023 के नियम 12.1 उप नियम 12.2 के क्रमशः विदेशी मदिरा, बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल के सूत्र/क्रम संख्या-8 के अनुसार एवं देशी मदिरा के मूल्य निर्धारण के सूत्र/क्रम संख्या-8 के अनुसार महिला को सशक्त व बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक विदेशी मदिरा/बीयर की प्रत्येक बोतल पर रू0 01, रू0 01, रू0 01 (अर्थात् प्रत्येक बोतल पर रू0 03) का उपकर (सैस) देय होगा। जिससे विभाग द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण व उनको बढ़ावा देने सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जायेगा। | 1000.00 | 0 | - | - | योजना के अन्तर्गत 500 एकल/निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उनको आत्मनिर्भर कारगर सिद्ध होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य एकल/निराश्रित/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गांव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है। | योजना के अन्तर्गत 500 एकल/निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उनको आत्मनिर्भर कारगर सिद्ध होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य एकल/निराश्रित/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गांव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है। | 31 मार्च, 2025 |
| 54 | आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण 90 प्रतिशत केन्द्रांश | आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवायें बेहतर ढंग से लाभार्थियों को प्रदान करने में सुविधा होगी, केन्द्र बच्चों के लिए आकर्षक बनेंगे एवं भवन किराये की बचत होगी। | 0 | 0.01 | - | 3033 आंगनबाड़ी भवन निर्माण | - | - | 31 मार्च, 2025 |
| 55 | आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण 10 प्रतिशत राज्यांश | आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवायें बेहतर ढंग से लाभार्थियों को प्रदान करने में सुविधा होगी, केन्द्र बच्चों के लिए आकर्षक बनेंगे एवं भवन किराये की बचत होगी। | 0 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 56 | मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं उच्चीकरण योजना | आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवायें बेहतर ढंग से लाभार्थियों को प्रदान करने में सुविधा होगी, केन्द्र बच्चों के लिए आकर्षक बनेंगे एवं भवन किराये की बचत होगी। | 0 | 2588.00 | - | 3940 आंगनबाड़ी भवन निर्माण | 3940 आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु शेष धनराशि से निर्माण किया जायेगा। | विभाग द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाओं के संचालन में सरलीकरण। | 31 मार्च, 2025 |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा |
|----------|--|--|----------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|----------------|
| 57 | महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवनों का निर्माण | यह योजना से निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय जो विभागीय भवन/सरकारी भवन में संचालित है उनके निर्माण से सम्बन्धित कार्य हेतु धनराशि का उपयोग किया जायेगा। तथा निदेशालय म.स.एवं ब.वि. विभाग के कार्यालय में महिला कल्याण विभाग के कार्यालय को शिफ्ट किया गया है जिस हेतु समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के बैठने हेतु निदेशालय की छत पर भवन का निर्माण किया जाना है। | 0 360.00 | — | — | निदेशालय भवन के द्वितीय तल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा। | — | 31 मार्च, 2025 |
| 58 | वन स्टॉप सैण्टर का निर्माण (मिशन शक्ति-सम्बल) 100 प्रतिशत केन्द्रांश | योजनान्तर्गत एक खिडकी प्रणाली (Single window system) के समान कार्य करते हुए, दुर्व्यवहार/अपराध से पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब आवश्यक सेवाएं, सहायता, सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान कर उनका पुनर्वास हेतु चिकित्सक, अधिवक्ता, पुलिस अधिकारी एवं परामर्शदाता की सेवाएं एक ही परिसर के अन्तर्गत 24X7 उपलब्ध करायी जाती है। | 0 133.34 | — | — | वन स्टॉप सैण्टर योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर, अल्मोड़ा एवं हरिद्वार के निर्माण/पुनर्निर्मित हेतु प्रथम किशत तथा जनपद चमोली में अवशेष निर्माण एवं वन स्टॉप सैण्टर के पुनर्निर्मित हेतु। | — | 31 मार्च, 2025 |
| 59 | निर्भया फण्ड योजना 90 प्रतिशत केन्द्रांश | महिलों एवं किशोरियों को रोजगार, शिक्षा एवं किसी भी हिंसा से पीड़िता को उनके समग्र सशक्तिकरण एवं विकास के उद्देश्य से सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास प्रदान किये जाने हेतु योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अन्तर्गत कामकाजी छात्रावास का निर्माण किया जाना प्रस्तावित। तदक्रम में भारत सरकार में Executive Committee द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करने के उपरान्त प्रदेश के जनपदों में कामकाजी छात्रावासों के निर्माण की डीपीआर एवं निर्माण हेतु नवीन प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। • योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में कामकाजी महिला छात्रावास की सहायता से प्रदेश के ऐसी किशोरीयों, बालिकाओं एवं एकल महिलाएं जो उच्च शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करती हैं, को सुरक्षित | 0 2000.00 | — | — | महिलों एवं किशोरियों को रोजगार, शिक्षा एवं किसी भी हिंसा से पीड़िता को उनके समग्र सशक्तिकरण एवं विकास के उद्देश्य से सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास प्रदान किये जाने हेतु योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अन्तर्गत कामकाजी छात्रावास का निर्माण, प्रदेश के सभी जनपदों में कामकाजी महिला छात्रावास की सहायता से प्रदेश के ऐसी किशोरीयों, बालिकाओं एवं एकल महिलाएं जो उच्च शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करती हैं, को सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान प्रदान करने के साथ ही नाममात्र की दरों पर आवास प्रदान | महिलों एवं किशोरियों को रोजगार, शिक्षा एवं किसी भी हिंसा से पीड़िता को उनके समग्र सशक्तिकरण एवं विकास के उद्देश्य से सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास प्रदान करना एवं योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अन्तर्गत कामकाजी छात्रावास का निर्माण, प्रदेश के सभी जनपदों में कामकाजी महिला छात्रावास की सहायता से प्रदेश के ऐसी किशोरीयों, बालिकाओं एवं एकल महिलाएं जो उच्च शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करती हैं, को सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान प्रदान करने के साथ ही नाममात्र की दरों पर आवास प्रदान | 31 मार्च, 2025 |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (अंशिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा |
|--------------------------------|---|--|----------------|-------------|--|--|--|--|----------------|
| 60 | निर्भर्या फण्ड योजना 10 प्रतिशत् राज्यांश | और सुविधाजनक स्थान प्रदान करने के साथ ही नाममात्र की दरों पर आवास प्रदान किये जाने हेतु योजान्तर्गत महिला छात्रावास निर्माण किया जाना है। • उक्त के अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं के बच्चों में 18 वर्ष तक बालिकाओं एवं 5 वर्ष तक के बालकों की देख रेख हेतु अपनी माँ के साथ छात्रावास में रहने की सुविधा प्रदान की जायेगी। | 0 | 200.00 | - | - | किये जाने हेतु योजान्तर्गत महिला छात्रावास निर्माण किया जायेगा। कामकाजी महिलाओं के बच्चों में 18 वर्ष तक बालिकाओं एवं 5 वर्ष तक के बालकों की देख रेख हेतु अपनी माँ के साथ छात्रावास में रहने की सुविधा प्रदान की जायेगी। | किये जाने हेतु योजान्तर्गत महिला छात्रावास निर्माण किया जायेगा। कामकाजी महिलाओं के बच्चों में 18 वर्ष तक बालिकाओं एवं 5 वर्ष तक के बालकों की देख रेख हेतु अपनी माँ के साथ छात्रावास में रहने की सुविधा प्रदान की जायेगी। | |
| अनुदान संख्या-15 का योग | | | 105420 | 5281 | | | | | |
| अनुदान संख्या: 30 | | | | | | | | | |
| 61 | समन्वित बाल विकास योजना अनु०जा० क्षेत्र (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वाडों में आंगनबाड़ी कर्मियों को केन्द्र सहायतित मानदेय, की व्यवस्था की जाती है। | 1000.00 | 0 | 3363 आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय दिया जा रहा है। | 3363 आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय दिया जा रहा है। | 3525 आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय | - | 31 मार्च, 2025 |
| 62 | समन्वित बाल विकास योजना अनु०जा० क्षेत्र (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 148.20 | 0 | | | | | |
| 63 | आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन अनुरक्षण (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | आंगनबाड़ी केन्द्र का अनुरक्षण होगा। | 0.01 | 0 | - | - | टोकन मनी से प्रस्तावित। | टोकन मनी से प्रस्तावित। | 31 मार्च, 2025 |
| 64 | आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन अनुरक्षण (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 0.00 | 0 | | | | | |
| 65 | अनुपूरक पोषाहार योजना (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | बाल विकास परियोजना कार्यालयों के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चे, महिलाएं, गर्भवती व धात्रा माताएं एवं अतिकुपोषित बच्चों को वर्ष में 300 दिन पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु। | 3750.58 | 0 | 87441 06 माह 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती/धात्री माताएं | 92819 06 माह 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती/धात्री माताएं | 97459 लाख लाभार्थी। | लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार एवं एनीमिया से रोकथाम तथा रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के विकास में सहयोग। | 31 मार्च, 2025 |
| 66 | अनुपूरक पोषाहार योजना (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 416.73 | 0 | | | | | |

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले 2024-25 | 1-4-2023 की वास्तविक | 31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25 | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25 | समय सीमा | |
|--------------------------------|--|---|----------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|---|----------------|
| 67 | अनुसूचित जाति केन्द्रों पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला मानदेय (राज्य योजना) | अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है। | 1654.93 | 0 | 3363 आंगनबाड़ी कार्यकों को राज्य सरकार द्वारा मानदेय | 3363 आंगनबाड़ी कार्यकों को राज्य सरकार द्वारा मानदेय | 3525 आंगनबाड़ी कार्मिक। | — | 31 मार्च, 2025 |
| 68 | आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में सुविधा होगी एवं भवन किराये की बचत होगी। | 0 | 0.01 | — | 749 आंगनबाड़ी भवन निर्माण | — | — | 31 मार्च, 2025 |
| 69 | आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 0 | 0.01 | | | | | |
| अनुदान संख्या-30 का योग | | | 6970 | 0 | | | | | |
| अनुदान संख्या: 31 | | | | | | | | | |
| 70 | समन्वित बाल विकास योजनाएं जनजातीय क्षेत्र (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/ वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को केन्द्र सरकार की ओर से मानदेय की व्यवस्था की जाती है। | 599.38 | 0 | 1255 आंगनबाड़ी कार्यकों का मानदेय दिया जा रहा है। | 1255 आंगनबाड़ी कार्यकों का मानदेय दिया जा रहा है। | 1330 आंगनबाड़ी कार्यकों का मानदेय | — | 31 मार्च, 2025 |
| 71 | समन्वित बाल विकास योजनाएं जनजातीय क्षेत्र (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 66.60 | 0 | | | | | |
| 72 | अनुपूरक पोषाहार योजना (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | बाल विकास परियोजना कार्यालयों के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चे, महिलाएं, गर्भवती व धात्रा माताएं एवं अतिकुपोषित बच्चों को वर्ष में 300 दिन पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु। | 789.60 | 0 | 9951 06 माह 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती/धात्री माताएं | 19599 06 माह 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती/धात्री माताएं | 20578 लाख लाभार्थी। | लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार एवं एनीमिया से रोकथाम तथा रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के विकास में सहयोग। | 31 मार्च, 2025 |
| 73 | अनुपूरक पोषाहार योजना (सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0) 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 87.74 | 0 | | | | | |
| 74 | समन्वित बाल विकास योजनाएं अनुसूचित जनजातीय केन्द्रों पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (राज्य योजना) | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है। | 586.48 | 0 | 1255 | 1255 | 1330 आंगनबाड़ी कार्मिक। | — | 31 मार्च, 2025 |
| 76 | आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण 90 प्रतिशत् केन्द्रांश | आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में सुविधा होगी एवं भवन किराये की बचत होगी। | 0 | 0.01 | — | 158 आंगनबाड़ी भवन निर्माण | — | — | 31 मार्च, 2025 |
| 77 | आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण 10 प्रतिशत् राज्यांश | | 0 | 0.01 | | | | | |
| अनुदान संख्या-31 का योग | | | 2130 | 0 | | | | | |
| महायोग 15, 30, 31 | | | 114521 | 5281 | | | | | |